IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–11

आफिस काम्पलेक्स, वृन्दावन योजना, सेक्टर–9, लखनऊ

भारतीय मानक ब्यूरो IS

Bureau of Indian Standards SQMS

पत्र सं0– / Y-2 / 149 दिनांक–

<u>वृन्दावन योजना लखनऊ का आसुधार शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना</u>

परिषद् द्वारा लखनऊ–रायबरेली रोड पर वृन्दावन योजना संख्या–4 लखनऊ नामक आवासीय योजना विधिवत् संचालित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत ग्राम हैवतमऊ मवैया, बिरूरा, बरौली खलीलाबाद व कल्ली पश्चिम की भूमि अधिग्रहीत की गयी है। उक्त योजना के लिए उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम–1965 की धारा–28 व 32 के अधीन विज्ञप्ति का प्रकाशन उ0प्र0 राजकीय गजट में क्रमशः दिनांक–04.12.1999 एवं 03.04.2004 को हुआ है। उक्त योजना के सम्बन्ध में भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा–7 / 17 का आदेश / अधिसूचना दिनांक–21.07.2004 को उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत किया गया।

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम–1965 की धारा–50 से 54 के अनुसार परिषद् योजना की सीमा से 500मी0 के भीतर स्थित भूमि पर आसुधार शुल्क सम्बन्धित भूस्वामी द्वारा परिषद् को दिये जाने का प्राविधान है। उल्लेखनीय है कि बिना आसुधार शुल्क जमा कराये परिषद् की उक्त योजना के 500मी0 के भीतर किसी भी प्रकार का निर्माण / विकास कार्य कराना वैध नहीं है।

उक्त के क्रम में वृन्दावन योजना संख्या–4 लखनऊ जिसकी पश्चिमी सीमा ग्राम कल्ली पश्चिम है तथा परिषद् ले आउट के अनुसार सेक्टर–19 एवं 20 नियोजित हैं, की सीमा के 500मी0 के भीतर स्थित भूमि के भूस्वामियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने भूमि के स्वामित्व के साक्ष्य (खतौनी / रजिस्ट्री) की सत्यापित प्रति के साथ अपना आवेदन इस कार्यालय में यथाशीघ्र प्रस्तुत करें, जिससे आसुधार शुल्क की गणना (भूमि दर के 20% की दर से) कर उनके नाम माँग–पत्र जारी किया जा सके।

(यू0 सी0 सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 / 1357 / उक्त / 149 तद्दिनांक 23-7-2014